सं.-ई-13015/16/2021 - हिंदी

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(हिंदी प्रभाग)

*****

विज्ञापन

1. **पदनाम** : **परामर्शदाता-सह-अनुवादक** - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में परामर्शदाता-सह-अनुवादक के पदों पर पूर्णतया अनुबंध आधार पर नियुक्ति के लिए सेवा-निवृत्त सरकारी कर्मचारियों और साथ ही, संविदा आधार पर सेवारत गैर-सरकारी कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

2. **रिक्तियां** : 02

3. **पात्रता शर्ते** : केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के अंतर्गत मंत्रालय/विभाग या उनके अधीन किसी संबद्ध/स्वायत्त कार्यालय/पीएसयू/संगठन से सेवा-निवृत्त अनुवादक/अधिकारी अथवा केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग से इतर किसी अन्य संवर्ग में सेवा-निवृत्त राजभाषा अधिकारी अथवा अनुवादक

   अथवा

   केंद्र सरकार के मंत्रालय/विभागों या उनके अधीनस्थ कार्यालयों आदि में अनुवाद व राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के क्षेत्र में संविदा आधार पर लगभग 10 से अधिक वर्षों का अनुभव रखने वाले और साथ ही, हिंदी टंकण का अच्छा ज्ञान रखने वाले गैर-सरकारी व्यक्ति।

4. **उत्तरदायित्व** :

1. कैबिनेट नोट, आरटीआई, संकल्प, ज्ञापन, अधिसूचनाएं, स्थायी समिति संबंधी रिपोर्टें, समाचार-पत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापन, संसद सत्रों के दौरान लोकसभा / राज्य सभा के प्रश्नों के उत्तर, वार्षिक रिपोर्ट, बजट संबंधी स्थायी समितियां, परिणामी बजट, अन्य देशों के साथ होने वाले समझौता-ज्ञापनों, मंत्री जी के भाषणों, दौरा कार्यक्रमों, उदघाटन भाषणों, शिलान्यास कार्यक्रमों, आदि से संबंधित सामग्री का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना।

2. संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के अंतर्गत मंत्रालय के विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों से तिमाही प्रगति रिपोर्ट का संकलन एवं समीक्षा करना। साथ ही, मंत्रालय की तिमाही प्रगति रिपोर्ट समेकित करना और राजभाषा विभाग को प्रस्तुत करना।
3. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकों का आयोजन एवं कार्यवृत्त तैयार करना।
4. हिंदी सलाहकार समिति की बैठकों का आयोजन करना।
5. वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट राजभाषा विभाग को प्रस्तुत करना।
6. मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
7. कंप्यूटर पर डिक्टेशन देने की क्षमता।

5. पारिश्रमिक

सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया के माध्यम से अंतिम रूप से चुने जाने वाले सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों के पारिश्रमिक का निर्धारण व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के दिनांक 09.12.2020 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3 - 25/2020 - ई.IIIए के तहत तथा गैर-सरकारी परामर्शदाताओं के लिए पारिश्रमिक का निर्धारण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जीएफआर, 2017 के तहत परामर्शदाताओं की नियुक्ति करने के बारे में जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन सं. ज़ेड.28015/10/2017-स्थापना-II, दिनांकित 02 सितंबर, 2021 में अंतर्विष्ट शर्तों के अनुसरण में किया जाएगा जोकि 50,000/- रु. प्रति माह की दर से नियत (Fixed) होगा।

6. नियुक्ति की अवधि

एक वर्ष अर्थात 1 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2023 तक।

7. आवेदन करने की अंतिम तिथि

27 जून, 2022; सायं 5.00 बजे तक

8. रिपोर्टिंग अधिकारी

श्री परमानन्द आर्य, निदेशक (रा.भा.), 754-ए विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली।

आवेदन के साथ भेजे जाने वाले दस्तावेज

1. सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) की स्वतः-प्रमाणित प्रति तथा सेवाकालीन गैर-सरकारी कर्मचारी के लिए उसके मौजूदा नियोक्ता द्वारा जारी किए गए कार्य आदेश की प्रति।
2. संलग्न प्रपत्र में जीवन-वृत्तांत/जीवन परिचय।

*****

<u>जीवन परिचय</u>

1. नाम:

2. पिता का नाम:

3. शैक्षिक अर्हता:

4. उस संगठन/उन संगठनों का नाम जहां पर कार्य किया हैः

5. वर्तमान पता:

6. पद पर रहने के दौरान अनुवाद एवं राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी कार्यों के अनुभव का संक्षिप्त ब्यौरा:

....

....

....

दिनांक:..................

नाम:.....................................

हस्ताक्षरः..............................

मो.नं.....................